राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1943/2019

श्रीमती सुनीता जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, निदेशालय तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज, अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2019

आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.एन.शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 18.06.2018 एवं 16.07.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2017 से 17.06.2018 तक मातृत्व अवकाश का राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ब्यूटी कल्चर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और उसकी शादी दिनांक 29.01.1999 को हुई थी,

परंतु स्वास्थ्य समस्या के कारण वह प्रेगेन्ट नहीं हो सकी। दिनांक 09.03.2017 को अपने पति की सहमति अनुसार सरोगेसी अनुबंध किया और सविता बेन सोलंकी जो सरोगेसी माँ ने आईवीएफ के माध्यम से एक बच्चे को जन्म दिया, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने 180 दिवस का मातृत्व अवकाश का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 को विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया और उक्त अवकाश उपरांत अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया, परंतु विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। जबकि नियम 103 में मातृत्व अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामलों में बी. शाह बनाम प्रिजाईडिंग ऑफीसर श्रम न्यायालय व अन्य मनु/एससी/0223/1977 (1970) 4 एससीसी 384 में एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रमा पाण्डे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया डब्ल्यू पी (सी) संख्या 844/2014, जिसमें इस प्रकार के मामलों में मातृत्व अवकाश प्रदान करना उचित माना है और इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बेबी मांझी जामादा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2008) 13 एससीसी 518 में भी इस तरह के मामलो में सरोगेसी माँ होने के आधार पर मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना उचित माना है। अपीलार्थी भी मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की हकदार है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा जाना सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 18.06.2018 एवं 16.07.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2017 से 17.06.2018 तक मातृत्व अवकाश का राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि सरोगेसी अवकाश के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 05.04.2018 एवं 17.04.2018 द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 06.06.2018 के अनुसरण में प्रशासनिक विभाग के पत्र दिनांक 18.06.2018 द्वारा प्रसूति अवकाश (सरोगेसी) के संबंध में यह अवगत कराया गया कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103 में सरोगेसी के द्वारा संतान उत्पत्ति की स्थिति में मातृत्व अवकाश दिये जाने का प्रावधान नहीं है और इस

प्रकार अपीलार्थी का 90 दिवस का उपार्जित अवकाश और 90 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ब्यूटी कल्चर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने 180 दिवस का मातृत्व अवकाश का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 को विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किये जाने का प्रश्न है, दिनांक 09.03.2017 को अपीलार्थी ने अपने पति की सहमति अनुसार सरोगेसी अनुबंध किया और सविता बेन सोलंकी जो सरोगेसी माँ ने आईवीएफ के माध्यम से एक बच्चे को जन्म दिया, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा 180 दिवस मातृत्व अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। जबकि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103 में मातृत्व अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामलों में बी. शाह बनाम प्रिजाईडिंग ऑफीसर श्रम न्यायालय व अन्य मनु/एससी/0223/1977 (1970) 4 एससीसी 384 में एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रमा पाण्डे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया डब्ल्यू पी (सी) संख्या 844/2014, जिसमें इस प्रकार के मामलों में मातृत्व अवकाश प्रदान करना उचित माना है और इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बेबी मांझी जामादा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2008) 13 एससीसी 518 में भी इस तरह के मामलो में सरोगेसी माँ होने के आधार पर मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना उचित माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7853/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2023 जिसमें सरोगेसी माँ बनने पर मातृत्व अवकाश दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"Once, it has been held by the several High Couts of our Nation including this Court that there is no distinction between the natural, biological and surrogate or commissioning mothers and all of them have fundamental right to life and motherhood, contained under Article 21 of the Constitution of India and children born from the process of surrogacy*

have the right to life, care, protection, love, affection and development through their mother, then certainly such mothers have right to get maternity leave for above purpose. But the provisions are silent in this regard. Hence, this is high time for the Government to bring appropriate Legislation in this regard for grant of maternity leave to the surrogate and commissioning mothers."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा सुषमा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य 2021 एससीसी ऑनलाईन एचपी 416 में सरोगेसी माँ बनने पर मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक विनिश्चय प्रतिपादित किया है :–

"12. Article 42 of the Constitution of India reads as under:

"42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief :- The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief."

13. It was long felt that the working women were unable to depute their time towards their children due to exigencies of service. Hence, the concept of grant of child care leave was introduced to ensure the welfare of the child so as to enable the mother to avail child care leave whenever she feels that the child needs the care. This is in tune with the international convenants and treaties to which India is a signatory.

14. As rightly held by the Bombay High Court, the object of the maternity leave is to protect the dignity of motherhood by providing for full and healthy maintenance to the woman and her child. Maternity leave is intended to achieve the object of ensuring social justice to women. Motherhood and childhood both require special attention.

15. Not only are the health issues of the mother and the child considered while providing for maternity leave, but the leave is provided for creating a bond of affection between the two. To distinguish between a mother who begets a child through surrogacy and a natural mother, who gives birth to a child, would result in insulting womanhood and the intention of a woman to bring up a child begotten through surrogacy. Motherhood never ends on the birth of the child and a commissioning mother cannot be refused paid maternity leave. A woman cannot be discriminated, as far as maternity benefits are concerned, only on the ground that she has obtained the baby through surrogacy. A newly born child cannot be left at the mercy of others as it needs rearing and that is the most crucial period during which the child requires care and attention of his mother. The tremendous amount of learing that takes place in the first year of the baby's life, the baby learns a lot too. A bond of affection has also to be developed.

16. In view of the aforesaid discussion, we find merit in this petition and the same is accordingly allowed and the respondents are directed to sanction/grant maternity leave to the petitioner in terms of Rule 43(1) of the CCS (Leave) Rules, 1972. Pending application, if any, also stands disposed of."

उपरोक्तानुसार हमारे मत में अपीलार्थी भी मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की अधिकारी है और विभाग द्वारा अपीलार्थी के मातृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना उक्त न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिनांक 18.06.2018 एवं 16.07.2018 को अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया 180 दिवस का मातृत्व अवकाश उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में नियमानुसार स्वीकृत किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य